

				436	0.040	5-3-क/बंजर
				96	0.158	5-3-क/बंजर
				86	0.134	6-4/बेहड़
				87/2	0.888	6-4/बेहड़
				113/2	2.323	6-4/बेहड़
				114	1.862	6-4/बेहड़
				161	3.492	6-4/बेहड़
				179	0.036	6-4/बेहड़
				180	0.283	6-4/बेहड़
				192/7	0.093	6-4/बेहड़
				195	3.282	6-4/बेहड़
				198/2	0.807	6-4/बेहड़
				197	4.264	6-4/बेहड़
				198	0.441	6-4/बेहड़
				203/4	1.228	6-4/बेहड़
				204/1	1.038	6-4/बेहड़
				205	2.110	6-4/बेहड़
				206/2	1.246	6-4/बेहड़
				212/1	1.878	6-4/बेहड़
				213/1	1.950	6-4/बेहड़
				214	1.449	6-4/बेहड़
				215	0.320	6-4/बेहड़
				218	1.311	6-4/बेहड़
				374	0.036	6-4/बेहड़
				425	1.416	6-4/बेहड़
				428	0.619	6-4/बेहड़
				429	1.015	6-4/बेहड़
				430	0.227	6-4/बेहड़
				431	1.072	6-4/बेहड़
				432	4.977	6-4/बेहड़
				437	1.380	6-4/बेहड़
				453	1.404	6-4/बेहड़
				454	3.682	6-4/बेहड़
				455	3.894	6-4/बेहड़
				459	1.428	6-4/बेहड़
				461	1.934	6-4/बेहड़
				462/1	0.987	6-4/बेहड़
				463/1	0.785	6-4/बेहड़
				469/1	1.518	6-4/बेहड़
				470	3.031	6-4/बेहड़
				69 किता	68.633	

जनपद जालीन में नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लि० (एनएलसी एवं यूवीआरवीयूएनएल का संयुक्त उपक्रम) को सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु निदेशक यूपीनेडा के पत्र संख्या 3299/यूपीनेडा-एसई/ओपेन एक्सेस/110/2018 उपरो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ दिनांक 15.09.2023 में किये गये अनुरोध पर ग्राम मानपुर तहसील कालपी में उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय जाप (संशोधन) संख्या-5/2023/प्रोसो-53/एक-1-2023-रा०-1 दिनांक 15.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87-अति०ऊ०स्रो०वि०/2023 दिनांक 03 अगस्त 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उपरो को 01 रुपये प्रति एकड़ की दर से कुल 169.52 एकड़ हेतु सांकेतिक मूल्य रुपये 170.00 (रुपये एक सौ सत्तर मात्र) वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्ग्रहीत भूमि राजस्व

19
अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग 30प्र0 के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रतिवर्ष, 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक "0029 - भूराजस्व- 800 -अन्य प्राप्तिर्यो-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तिर्यो" में जमा की जायेगी। यह कि भावदित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी जालौन।

पत्रांक 435 /आठ-डी0एल0आर0सी0

दिनांक: 19.10.2023

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, 30प्र0 शासन लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2 निदेशक, 30प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 3 उपजिलाधिकारी कालपी।
- 4 तहसीलदार कालपी को इस आशय से प्रेषित कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग 30प्र0 द्वारा सांकेतिक मूल्य रूपये 170.00 (रूपये एक सौ सत्तर मात्र) जमा करने पर 30 वर्षीय पट्टे पर राजस्व अभिलेखों में अंकित की जायेगी। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक "0029 - भूराजस्व- 800 -अन्य प्राप्तिर्यो-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तिर्यो" में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही उक्त आदेश का अंकन राजस्व अभिलेखों में करके भूमि का कब्जा प्रदान किया जाय। उद्धरण खतौनी की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराये तथा सम्बन्धित विभाग को भी अवगत कराये।
- 5 परियोजना अधिकारी सूपीनेडा उरई को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वार्षिक किराया रूपये 170.00 (रूपये एक सौ सत्तर मात्र) को उपरिवर्णित लेखाशीर्षक में जमा कराये तथा रसीद की एक प्रति तहसीलदार कालपी को एवं छायाप्रति मूलेख कार्यालय को भी उपलब्ध कराये।
- 6 अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति रायपुर तहसील कालपी जनपद जालौन।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी जालौन।

17

					4	9.895	6-4/बेहड
					5	13.941	6-4/बेहड
					6	12.241	6-4/बेहड
					7	4.310	6-4/बेहड
					10/5	1.619	6-4/बेहड
					23/4	5.708	6-4/बेहड
					24	7.184	6-4/बेहड
					25	6.696	6-4/बेहड
					26	4.873	6-4/बेहड
					28	6.232	6-4/बेहड
					29/2	3.666	6-4/बेहड
					31/2	2.144	6-4/बेहड
					33	3.177	6-4/बेहड
					34	1.720	6-4/बेहड
					35	2.914	6-4/बेहड
					36	5.160	6-4/बेहड
					38	2.752	6-4/बेहड
					39/2	5.407	6-4/बेहड
					40	1.700	6-4/बेहड
					41	11.413	6-4/बेहड
					43	3.743	6-4/बेहड
					48	4.140	6-4/बेहड
					54	8.883	6-4/बेहड
					58/4	0.028	6-4/बेहड
					60	0.178	6-4/बेहड
					62/2	0.870	6-4/बेहड
					63/2	4.444	6-4/बेहड
					64	1.964	6-4/बेहड
					65	2.387	6-4/बेहड
					82/5	0.162	6-4/बेहड
					85/2	1.736	6-4/बेहड
					86/2	3.682	6-4/बेहड
					87	0.373	6-4/बेहड
					88/3	0.004	6-4/बेहड
					111	24.886	6-4/बेहड
					112	1.518	6-4/बेहड
					115	1.384	6-4/बेहड
					117	0.598	6-4/बेहड
					118	1.125	6-4/बेहड
					119	1.192	6-4/बेहड
					120/2	1.740	6-4/बेहड
					121	4.355	6-4/बेहड
					123	0.445	6-4/बेहड
					125	1.214	6-4/बेहड
					126/2	3.230	6-4/बेहड
					127	2.217	6-4/बेहड
					128	6.394	6-4/बेहड
					155/3	0.198	6-4/बेहड
					156	0.383	6-4/बेहड

20 20

					157	0.648	6-4/बेहड़
					168	0.210	6-4/बेहड़
					169	0.012	6-4/बेहड़
					170	0.053	6-4/बेहड़
					220/2	0.040	6-4/बेहड़
					221/	1.350	6-4/बेहड़
					11		
					222/5	5.111	6-4/बेहड़
					224	3.905	6-4/बेहड़
					236	2.027	6-4/बेहड़
					249	0.282	6-4/बेहड़
					251	3.990	6-4/बेहड़
					257	0.287	6-4/बेहड़
					01 कित्ता	228.347	

जनपद जालौन में नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लि० (एनएलसी एवं यूवीआरवीयूएनएल का संयुक्त उपक्रम) को सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु निदेशक यूपीनेडा के पत्र संख्या 3299/यूपीनेडा-एसई/ओपेन एक्सेस/110/2018 उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ दिनांक 15.09.2023 में किये गये अनुरोध पर ग्राम सरैनी मुस्तकिल तहसील कालपी में उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन) संख्या-5/2023/प्र०स०-53/एक-1-2023-स०-1 दिनांक 15.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87-अति०स०स्रो०वि०/2023 दिनांक 03 अगस्त 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ०प्र० को 01 रुपये प्रति एकड़ की दर से कुल 556.61 एकड़ हेतु सांकेतिक मूल्य रुपये 557.00 (रुपये पाँच सौ सत्तावन मात्र) वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्ग्रहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ०प्र० के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रतिवर्ष, 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक "0029 - भूराजस्व- 800 -अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी जालौन।

पत्रांक 436/आठ-डी०एल०आर०सी०

दिनांक: 19.10.2023

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2 निदेशक, उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 3 उपजिलाधिकारी कालपी।
- 4 तहसीलदार कालपी को इस आशय से प्रेषित कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ०प्र० द्वारा सांकेतिक मूल्य रुपये 557.00 (रुपये पाँच सौ सत्तावन मात्र) जमा करने पर 30 वर्षीय पट्टे पर राजस्व अभिलेखों में अंकित की जायेगी। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक "0029 - भूराजस्व- 800 -अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही उक्त आदेश का अंकन राजस्व अभिलेखों में करके भूमि का कब्जा प्रदान किया जाय। उद्घरण खतौनी की एक प्रति इस कार्यालय की अभिलेखाथ उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित विभाग को भी अवगत करायें।
- 5 परियोजना अधिकारी यूपीनेडा उरई को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वार्षिक किराया रुपये 557.00 (रुपये पाँच सौ सत्तावन मात्र) को उपरिवर्णित लेखाशीर्षक में जमा करायें तथा रसीद की एक प्रति तहसीलदार कालपी को एवं छायाप्रति भूलेख कार्यालय को भी उपलब्ध करायें।
- 6 अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति सरैनी मुस्तकिल तहसील कालपी जनपद जालौन।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी जालौन।